राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 192/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़ – वादी

बनाम

1. अरविन्द कुमार पुत्र भाताराम जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र पोकर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
3. कामिनी पुत्र विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
4. नितिन कुमार पुत्र विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
5. पुनित कुमार पुत्र विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
6. प्रमोदकुमार पुत्र ओंकारमल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
7. बैजलाल पुत्र पोकर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
8. मुन्नी देवी पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
9. मायादेवी पत्नि विनोदकुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
10. मालाराम पुत्र बालाराम जाति कुम्हार िवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
11. रजनीदेवी पत्नि मुकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
12. रणवीरसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
13. रेनूदेवी पत्नि रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
14. राजेशकुमार पुत्र बसेसर जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
15. लीलाराम पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
16. विनोद कुमार पुत्र ओंकारमल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।

17. सपना पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
18. सुभाष पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
19. झीण्डुराम पुत्र इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
20. देशराम पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
21. धन्नाराम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
22. परमेश्वरी पत्नि जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
23. बनवारी पुत्र जाखीराम जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
24. मखनलाल पुत्र बालाराम जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
25. मंगतूराम पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
26. ममता देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति प्रजापत निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
27. राजकरण पुत्र सहजाराम जाति जाट निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
28. शंकुतला देवी पत्नि स्व भाताराम जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
29. शकुंतला देवी पत्नि पुरूषोतमलाल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
30. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
31. सत्यनारायण पुत्र बनवारी जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
32. सन्तोष देवी पत्नि रोहिताश्व कुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।
33. सुनीता देवी पत्नि विकास कुमार जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील जिला झुंझुनूं राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक –28.02.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड ग्रम पचायत जाखोद पर चस्पानगी से की गयी। कृष्णा देवी की और से श्री सोमवीर एड ने प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी एवं वकालतनामा पेश किया। औमप्रकाश, शम्भूदयाल,संजय एवं भागवती की और से श्री सुनील कुमार एड0 ने वकालतनामा एवं प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी एवं 9 किता दस्तावेज पेश किये। दलीप सिंह एवं मानादेवी ने प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी एवं 2 किता दस्तावेज पेश किये। गीता देवी, सुशीला, मालाराम,शिव कुमार, सुमित्रा, बबीता, रामेश्वरलाल, जयकरण, गौरी शंकर, कमला देवी, अमित, झण्डूराम, राजकुमार, अमीत, सिलोचना, कबूल देवी, अजीत कुमार, गोविन्दराम, कृष्ण कुमार, बिमला देवी, धनपति, सरिता, नरेन्द्र कुमार, अजीत कुमावत, विनोद शर्मा , प्रेमचन्द, सुशीला देवी एवं सुमन की और से श्री राजेश चिरानिया एड0 ने वकालतनामा एवं प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया समस्त की नकल राज पैरोकार को दिलायी गई। समस्त कब्जेधारियों के प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किये जाते है जवाब पेश किया गया जिसकी नकल राज पैरोकार को दिलायी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 06,10 लगा0 12, 14,15 19 लगा0 22, 25 लगा0 32 की और से श्री राजेश चिरानियॉ एड0 ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया शेष प्रतिवादीगण को अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं आने के कारण एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाकर जवाब बन्द किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 148 कुल रकबा 2.37 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के जवाब एवं शपथ पत्र में दोष स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया

है। अतः ख0न0 148 कुल रकबा 2.37 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद में मूल खातेदारों के कब्जे काश्त की भूमि को छोड़कर शेष भूमि को राजहक में लिया जाकर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूँकी मूल खातेदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः उसके कब्जे काश्त हिस्से पर बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 50 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है।

मूल खातेदारों को पाबंद भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें। आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ स्वयं मौके पर जाकर ख0न0 148 कुल रकबा 2.37 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद की समस्त विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण कर ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
(विपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(विपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.–192/2021
निर्णय दिनांक :– 28.02.2022

राजस्थान सरकार <u>बनाम</u> अरविन्द आदि

<u>दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादी की ओर से सरकारी पैरोकार व प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **28**.02.2022 को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 141 कुल रकबा 1.09 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के जवाब एवं शपथ पत्र में दोष स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः ख0न0 141 रकबा 1.09 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद में मूल खातेदारों के कब्जे काश्त की भूमि को छोड़कर शेष भूमि को राजहक में लिया जाकर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूँकी मूल खातेदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः उसके कब्जे काश्त हिस्से पर बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 50 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है।

मूल खातेदारों को पाबंद भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें। आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ स्वयं मौके पर जाकर ख0न0 141 रकबा 1.09 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद की समस्त विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण कर ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **28-02-2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़